निर्णय बइजलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 42 / 2025(रे0वाद)
दायर दिनांक – 25 / 04 / 2025
निर्णय दिनांक – 26 / 11 / 2025

अनवान

1. मदन पिता नारू जाति ब्राह्मण निवासी कुंआथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री प्रफुल शर्मा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत किया कि ग्राम कुंआथल पटवार हल्का कुंआथल, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद में वादी की स्वामित्व एंव आधिपत्य की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि खाता सं. 268 खसरा नम्बर 1500 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1 / 180 हिस्सा तथा खाता संख्या 390 आराजी संख्या 1351, 1351 / 2, 1352, 1352 / 2, 1353, 1430, 1439, 1516, 1518, 1524, 1535 कुल किता 11 कुल रकबा 1.4400 हैक्टेयर भूमि वादी का 1 / 6 हिस्सा तथा खाता संख्या 391 आराजी संख्या 2652, 2658 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3500 हैक्टेयर में 1 / 7 हिस्सा एवं खाता संख्या 392 आराजी संख्या 1347 रकबा 0.0800 हैक्टेयर में वादी का 1 / 3 हिस्सा एवं खाता संख्या 393 आराजी संख्या 1609, 1616 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0500 हैक्टेयर में 1 / 36 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का वास्तविक एवं सही नाम मदन है, परन्तु प्रार्थी पिता की मृत्यु के पश्चात् विरासत से जो नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम पर खोला गया उसमें गलती से प्रार्थी का नाम घर का बोलता नाम वदना अंकित हो गया, जब कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है एवं किसी अन्य का कोई हक, दखल , तालूक नहीं है प्रार्थी का सही नाम मदन है। प्रार्थी के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी आदि में प्रार्थी का नाम मदन ही अंकित है। प्रार्थी ने सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ(किसान सम्मान निधि राशि) प्राप्त करने हेतु जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि राजस्व जमाबन्दी में उसका नाम गलत अंकित है, जिस पर प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही कराने के लिए तहसीलदार, देवगढ़ के यहा निवेदन

सहायक कलक्टर, देवगढ़ (रा.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

किया किन्तु इन्द्राज दुरस्ती नहीं की गई। जिससे मजबूर होकर प्रार्थी का आप श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र करना पड़ रहा है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.02.2025 को भी विपक्षी को उक्त राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज सुधार कर प्रार्थी का नाम "वदना" के वजाय "मदन" अंकित करने का निवेदन किया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से वाद हेतुक उत्पन्न होकर लगातार जारी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम कुंआंथल पटवार हल्का कुंआथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की वर्तमान जमाबन्दी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में कर रखा है में काश्तकार के नाम की प्रविष्ठी में प्रार्थी का नाम वदना के बजाय मदन अंकित किया जाकर नाम को दुरस्त किया जाने का आदेश प्रदान किया जावें तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का कुंआथल की जांच रिपोर्ट पेश की गई जवाब में उल्लेखित है कि राजस्व ग्राम कुंआथल के खाता संख्या 268, 390, 391, 392, 393 में प्रार्थी के नाम वदना पुत्र नारू दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम मदन पुत्र नारू है। संलग्न पटवारी हल्का कुंआथल एवं वादी के अन्य दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, सरपंच का प्रमाणपत्र के अनुसार वादी का नाम मदन हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवधारणीय बिन्दु निर्धारण किया गयाः—

1. आया वादी राजस्व ग्राम कुंआथल के खाता संख्या 268, 390, 391, 392, 393 में वादी की सहखातेदारी भूमि में दर्ज वदना पुत्र नारू के स्थान पर सही नाम मदन पुत्र नारू दर्ज कराने की घोषणा कराने एवं रिकॉर्ड में दुरस्ती कराने की अधिकारी है।

उक्त बिन्दु को तय करने के लिए उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है वादिया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रमाणपत्र में भी मदन पुत्र नारू दर्ज है जो कि सही है। भूमि पर वादी काबिज होकर उपयोग—उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की। अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश किया।

हमने योग्य अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी का मुख्य कथन है कि वादी का नाम मदन के स्थान पर वदना दर्ज हो गया है जो गलत है। इसके संबंध में आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, राशनकार्ड, प्रमाणपत्र पेश किये जिनके अनुसार वादी का नाम मदन पुत्र नारू है। तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा भी अपने जवाब व पटवारी हल्का कुंआथल की रिपोर्ट में वादी का मदन पुत्र नारू शुद्ध किया जाना उचित बताया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों(आधार कार्ड,

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जि0 राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

मतदाता कार्ड, प्रमाणपत्र) पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वदना पुत्र नारू का वास्तविक नाम मदन पुत्र नारू है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप मैं यह पाता हूँ कि वादी अपने वादपत्र को साबित करने में सफल रहा है। इसलिए दावा वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

अतः वादी का वाद वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुंआथल पटवार हल्का कुंआथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 268, 390, 391, 392, 393 में वादी का नाम वदना पुत्र नारू के स्थान पर वदना उर्फ मदन पिता नारू राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देवगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 26 / 11 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार **R.A.S.**)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

मदन बनाम सरकार
42 / 2025 (रे०वाद)
निर्णय दिनांकः–26 / 11 / 2025

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– मोहकम सिंह सिनसिनवार आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :–42 / 2025

अनवान

1. मदन पिता नारू जाति ब्राहमण निवासी कुंआथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।
–प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री प्रफ्फुल शर्मा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम कुंआथल पटवार हल्का कुंआथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 268, 390, 391, 392, 393 में वादी का नाम वदना पुत्र नारू के स्थान पर वदना उर्फ मदन पिता नारू राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देवगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द